

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय-उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

वादी

प्रतिवादीगण

कैलाशचन्द

बनाम

कंचन व अन्य

केस संख्या 191/25(2025/559online number) दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी. एक्ट

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
10.10.2025	<p>वादी की ओर से वाद पत्र अधिवक्ता श्री राकेश शर्मा द्वारा विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53, 188 आर. टी. एक्ट पेश किया गया। वादी का वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की जरिये रजि0 ए.डी./साधारण नोटिस बलवी जारी होकर पत्रावली दिनांक 13/10/2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी बस्सी</p> <p>13/10/25 पत्रावली पेशा करील वादी उपस्थित प्रकरण में वादी उपस्थित होकर सा.प्र बाबत दावा विद्वां किये जाने हेतु पेश कर आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर किये, जिसकी पहचान वादी अधिवक्ता श्री ए.डी. वाडिया द्वारा की गई। करील वादी की सा.प्र बाबत विद्वां पर सुना गया। करील वादी वा.प्र को राजीनामा की रूह से विद्वां करवाना चाहत है एवं विद्वां किये जाने हेतु निवेदन किया। करील वादी से बहल पर मनन प्रचार पाते हैं कि वादी प्रकरण को राजीनामा की रूह से विद्वां करवाना चाहत।</p>	<p>विशेष विवरण</p> <p style="text-align: right;">५ का लाश</p> <p style="text-align: right;">2/10/25</p>

है। अतः वापी कार्यना पर बाबर
विद्रो न्यायहित में स्वीकार किया
जाता है। बाबर बाबर विद्रो स्वीकार
होने से दावा को इसी स्तर
पर खारिज किया जाता है।
पत्रावली नम्बर से कर होकर
दाखिल दफतर् हो।

असखण्ड अधिकारी
धरसी जिला-जयपुर